न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 45/2021 (GCMS 2021/30)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
श्री नरपतसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पिथला तहसील व जिला जैसलमेर।		1. मैसर्स विश विण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॉट नं. ए–9 इनरकोन पॉवर वीरा इण्डस्ट्रीज इस्टेट मुम्बई (महाराष्ट्र) 2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर।

उपस्थित :

1. श्री मोहम्मद अली अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द गोपा अप्रार्थी संख्या 01
3. तहसीलदार जैसलमेर (रेस्पोडेण्ट संख्या 03)

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2011 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018

अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है– रेस्पोडेण्ड संख्या 01 द्वारा ग्राम पीथला तहसील जैसलमेर के खसरा नम्बर 670/1115 में 0.08 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाये जाने पर उक्त निर्माण कार्य रूकवाये जाने हेतु अपीलांट द्व तहसीलदार, जैसलमेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा कार्यवाही की जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर नोटिस दिया तथा रेस्पोडेण्ट को अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना आरोपित कर कम्पनी को भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा राज हक में लेने के आदेश पारित किये गये। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर में अपील की गई। जिस पर न्यायालय ने ग्राम पिथला तहसील जैसलमेर के खसरा नम्बर 670/1115 में अवैध अतिक्रमण विश विण्ड मिल निर्माण करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जैसलमेर का आदेश दिनांक 31.07.2012 यथावत रखते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की अपील दिनांक 02.11.2012 को खारिज की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर के निर्णय दिनांक 02.11.2012 के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर कैम्प, जैसलमेर में प्रस्तुत की गई। जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा दिनांक 06.11.2015 को निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जैसलमेर का निर्णय दिनांक 31.07.2012 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर का निर्णय दिनांक 02.11.2012 को अपास्त करते हुए मामला इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलार्थी (कम्पनी) की उपस्थिति में स्वतंत्र टीम द्वारा विस्तृत सर्वे टीम द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही की जावें। उक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश दिनांक 30.06.2018 पारित किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की प्रश्नगत भूमि मौके पर वास्तविक कब्जे के अनुसार प्रकरण में अप्रार्थी कंपनी को ग्राम पिथला में विण्ड मिल लोकेशन संख्या 80 की स्थापना के लिए ग्राम पिथला के खसरा नं. 670/1080 में आवंटित 05.00 बीघा भूमि की सही तरमीम उसके मौके पर वास्तविक कब्जे की स्थिति के अनुसार नहीं होने से कंपनी के विरूद्ध अतिक्रमण का प्रकरण बना है। इस प्रकार यह प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं होकर आवंटित भूमि की तरमीम शुद्धी करने का प्रकरण है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी कंपनी के विरूद्ध दर्ज किये गये धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रस्तुत प्रकरण में जुर्माना एवं बेदखली की कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा निर्णय में

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 45/2021 (GCMS 2021/30)

किये गये विवेचन के अनुसार अप्रार्थी को ग्राम पीथला के खसरा नम्बर 670 में विण्ड मिल लोकेशन संख्या 80 के लिए आवंटित 05 बीघा भूमि की मौके पर वास्तविक कब्जे के अनुसार सही तरमीम करने के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में कानूनी एवं तथ्यों संबंधी भारी भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में तरमीम शुद्धि करने का अधिकारी नही है तथा न ही धारा 125 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अधिनियम के तहत आवंटित भूमि को अन्यत्र बदलने का प्रावधान है। अपीलांट के पिता की खातेदारी भूमि ग्राम पीथला खसरा नम्बर 669 में आयी हुई है तथा खातेदारी भूमि के पूर्व में विवादग्रस्त खसरान् की भूमि स्थित है। उक्त खसरान् से बरसाती पानी अपीलांट की खातेदारी भूमि में आता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा विवादग्रस्त भूमि में विण्ड मिल निर्माण करने से अपीलांट की खातेदारी भूमि में आने वाले पानी को रोक दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर न कर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी भारी भूल की गई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा गलत जगह विण्ड मिल का निर्माण करवाया गया है जो एक सोची समझी योजना है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण ओवरलेपिंग का मानकर कानूनी एवं तथ्यों संबंधी बड़ी भारी भूल की गई है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील के संलग्न धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

उभय पक्षों की बहस सूनी गई अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया । रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है जो रेस्पोडेण्ट को जिला कलक्टर जैसलमेर के आदेश दिनांक 28.06.2010 के द्वारा आवंटित है। अपीलांट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के द्वारा कथन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि मूल खसरा संख्या 670 की भूमि है जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है जिसमें अपीलांट का कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। रेस्पोडेण्टगण के द्वारा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत धारा 05 अन्तर्गत म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कोई आपत्ति नहीं किये जाने से अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है। उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम पीथला के खसरा संख्या 670/1080 एवं 670/1115 से संबंधित है। उक्त खसरान् के मूल खसरा संख्या 670 है तथा मूल खसरा संख्या 670 में भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को आवंटित है। अपीलांट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित होने के कोई साक्ष्य दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

(प्रताप सिंह)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जैसलमेर